पीठासीन अधिकारी – श्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
31.03.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य वादीगण बन्द की जाती है। वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण बरूए राजीनामा किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते आदेश/निर्णय पत्रावली दिनांक 29.04.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
29.04.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते आदेश/निर्णय पत्रावली दिनांक 02.05.2022 को पेश हो। पीठासीन अधिकारी महो. अन्य कार्य में व्यस्त है।	
02.05.2022	पत्रावली आज वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.05.10 10:24:18 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
102 / 2020	2020 / 178	20.10.2020	02.05.2022

उनवान प्रकरण

1. श्रीराम पुत्र रामसहाय आयु 50 वर्ष
2. हरसहाय पुत्र रामसहाय आयु 37 वर्ष
3. हरफूल पुत्र रामसहाय आयु 35 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम टीकम नगर त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

वादीगण

बनाम

1. हेमाराम पुत्र गणेशराम आयु 65 वर्ष
2. बनवारी पुत्र गणेशराम आयु 62 वर्ष
3. मुरलीधर पुत्र गणेशराम आयु 60 वर्ष
4. लक्ष्मण पुत्र गणेशराम आयु 50 वर्ष
5. हरिराम पुत्र गणेशराम आयु 40 वर्ष
6. गुलझारी पुत्र गणेशराम आयु 32 वर्ष
7. सुण्डी देवी पत्नी गणेशराम आयु 80 वर्ष
8. उर्मिला पत्नी स्व0 हरफूल पुत्रवधु स्व0 गणेशराम उम्र–24 वर्ष
9. आदर्श पुत्र स्व0 हरफूल आयु 5 वर्ष
10. छोटी देवी पुत्री स्व0 हरफूल आयु 3 वर्ष

नाबालिगान जरिये सरंक्षक माता उर्मिला पत्नी [illegible]ल

11. जमना देवी पत्नी स्व0 मंगला आयु 75 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण टीकम नगर–त्रिलो[illegible]रा तहसील श्रीमाधोपुर जिला

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested

02/05/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सीकर (राज.)

12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री सुरेश कुमार लाम्बा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 11,

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 803, 805, 824, 825, 826 कुल किता 5 कुल रकबा 3.4900 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 एंव प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के पति/पिता स्व0 हरफुल पुत्र गणेशराम एंव प्रतिवादिया संख्या 11 के पति स्वर्गीय मंगला पुत्र नाथू के नाम दर्ज है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 आपस मे एक ही परिवार खानदान से है। जो प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार है। उक्त वर्णित भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक मौरूसी भूमि है जिसकी खातेदारी गणेशराम व मंगलाराम बड़े व कर्त्ता धर्ता होने के कारण अकेलों के नाम दर्ज हो गई थी तथा उनकी मृत्यु उपरान्त विरासत के आधार पर उनके वारिसान् प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि पर पूर्व में नाथू काबिज काश्त चला आ रहा था तथा नाथू की मृत्यु उपरांत उनके तीनों

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पुत्रगण गणेशराम, मंगलाराम, रामसहाय पुत्रगण नाथू बहिस्सा बराबर-बराबर 1/3 – 1/3 – 1/3 हिस्सानुसार काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त मौके पर वर्तमान में 1/3 हिस्सा की भूमि पर मृतक रामसहाय पुत्र नाथू के वारिसान वादीगण एंव 1/3 हिस्सा पर मृतक गणेशराम पुत्र नाथू के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 एंव 1/3 हिस्सा पर मृतक मंगला पुत्र नाथू के वारिस प्रतिवादिया संख्या 11 काबिज काश्त चली आ रही है। इसलिए उक्त हिस्सानुसार वादीगण भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 926 लगायत 932 कुल किता 7 कुल रकबा 3.9100 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 764 लगायत 768, 770 लगायत 781 कुल किता 17 कुल रकबा 8.71 हैक्टर में भी भूमि की खातेदारी अकेले गणेशराम व मंगला पुत्रगण नाथू के नाम बड़े भाई एंव कर्ता धर्ता होने के कारण दर्ज हो गई थी। जिसकी खातेदारी जरिये डिक्री हिस्सानुसार गणेश, मंगला पि0 नाथू के स्थान पर हिस्सानुसार तीनों भाईयों रामसहाय पुत्र नाथू एंव गणेश पुत्र नाथू एंव जमना देवी पत्नी मंगला के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली गई थी परन्तु उक्त कृषि भूमि का खाता सहवन से रह गया था। वादीगण ने प्रतिवादीगण को खातेदारी हिस्सानुसार दर्ज करवाने हेतु कहा तो आश्वासन देते रहे परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ जाने से दिनांक 12.10.2020 को इन्कार हो गये तथा वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी देने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया [illegible] प्रतिवादीगण ने [illegible] ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है तथा प्रतिवादी सं. 12 की सम्मन तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

07/05/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 803, 805, 824, 825, 826 कुल किता 5 कुल रकबा 3.4900 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 एंव प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के पति/पिता स्व0 हरफुल पुत्र गणेशराम एंव प्रतिवादिया संख्या 11 के पति स्वर्गीय मंगला पुत्र नाथू के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 803, 805, 824, 825, 826 कुल किता 5 कुल रकबा 3.4900 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादीगण को 1/3 हिस्सा का बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एंव प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के पति–पिता स्वर्गीय हरफूल पुत्र गणेशराम एंव प्रतिवादिया संख्या 11 के पति स्वर्गीय मंगला पुत्र नाथू का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी वादीगण के नाम हिस्सानुसार 1/9 हिस्सा वादी संख्या 1 के नाम एंव 1/9 हिस्सा वादी संख्या 2 के नाम एंव 1/9 हिस्सा वादी संख्या 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने तथा शेष हिस्सा की खातेदारी हिस्सानुसार 1/3 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 11 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

[signature] 07/05/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 7 के नाम एंव 1/72 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 8 के नाम एंव 1/72 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 के नाम एंव 1/72 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 10 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने हेतु वादपत्र को बवजह राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 803, 805, 824, 825, 826 कुल किता 5 कुल रकबा 3.4900 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादीगण को 1/3 हिस्सा का बहिस्सा बराबर—बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एंव प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के पति—पिता स्वर्गीय हरफूल पुत्र गणेशराम एंव प्रतिवादिया संख्या 11 के पति स्वर्गीय मंगला पुत्र नाथू का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी हिस्सानुसार 1/9 हिस्सा वादी संख्या 1 के नाम एंव 1/9 हिस्सा वादी संख्या 2 के नाम एंव 1/9 हिस्सा वादी संख्या 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने तथा शेष हिस्सा की खातेदारी हिस्सानुसार 1/3 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 11 के नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या [illegible] नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के नाम एंव 1/24 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 7 के नाम एंव 1/72 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 8 के नाम एंव 1/72 हिस्सा प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) ★ श्रीमाधोपुर (सीकर) ★

02/05/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संख्या 9 के नाम एंव 1/72 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

02/05/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 02.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

02/05/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested